उ०प्र० के कृषक आन्दोलन

डॉ0 तेजवीर सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
श्री शालिगराम शर्मा स्मारक
स्नातकोत्तर महाविद्यालय रासना (मेरठ)

अन्शु तोमर
रिसर्च स्कॉलर
श्री शालिगराम शर्मा स्मारक
स्नातकोत्तर महाविद्यालय रासना (मेरठ)

सारांशिका

"कृषक वंश को छोड़ न था, क्या और ढिकाना।
नरक योग्य भी नाथ ! न तुमने हमको माना।।
पाते है! पशु पक्षी आदि भी चारा दाना।
और अधिक क्या कहें, तुम्हारा है सब जाना"।।

उत्तर प्रदेश मे अत्याधिक संख्या में कृषक वर्ग था। जिनके पास बहुत कम भूमि थी अथवा भूमि थी ही नही। उनकी जमीन पर भी जमीदारों का हक होता था तथा साहूकारों (जमीदारों) ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। जमीदार वर्ग जब चाहे उन्हे कृषि से बेदखल कर देते थे। उत्तर प्रदेश के कृषकों व साहूकारों एवं जमीदारो के बीच छोटी मोटी लड़ाईयाँ तो होती ही रहती थी, लेकिन कभी संगठित होकर कृषको ने कोई आन्दोलन नही किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ही गरीब थे तथा अंग्रेजों व साहूकारों के उनके ऊपर अत्याचार होते ही रहते थे। जिसके कारण (कृषको) इनकी स्थिति बद से बदतर हो गयी थी। कांग्रेस पार्टी भी कृषकों का ज्यादा साथ नहीं दे पा रही थी।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु जी ने अपनी जीवनी में इस बात इस बात का जिक्र करते हुए लिखा था कि कांग्रेस संस्था में मध्यम वर्गीय जमीदार तथा बड़े जमीदार, सभी तरह के कृषक वर्ग है। कांग्रेस पूर्व से राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय संस्था है, यह संस्था कोई ऐसा कार्य नही करेगी जिससे वर्ग संघर्ष हो या फिर साहूकार नाराज हो जाये।

13 जनवरी 1921 को हिन्दुस्तान को भेजे गये वायसराय के तार में इस बात का जिक्र किया गया कि–टेनेमी एक्ट साहूकारों के पक्ष में है। उस समय अवध में आगरा में अलग–अलग भूमि कानून (टेनेमी एक्ट) थे। आगरा का टेनेमी एक्ट भी जमीदारों का संरक्षण करता था तथा कृषकों के उत्पीडन का ही कार्य करता था। उत्तर प्रदेश में इसी समय एक कृषक सभा संगठन का वर्णन मिलता है। माह अगस्त/सितम्बर 1945 में प्रकाशित लेखों में संयुक्त कृषक सभा के इतिहास के बारे में बताया गया है। इन्द्र नारायण द्विवेदी के अनुसार प्रदेश मे 1918 में कृषक सभा की शुरुआत हुई थी।

17 जून 1921 को फर्रूखाबाद में पुरानी दुश्मनी के कारण कृषकों ने जमीदार के साथ हुई हाथापाई में 5 से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पता संयुक्त प्रान्त सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये एक तार से चल पाया था।

रायबरेली तथा फैजाबाद किसान संघर्ष :

अवध में कृषक वर्ग को जमीदारों का उत्पीडन सहन करना पडता था, क्योंकि भूमि का एक बडा भाग जंगल तथा चारागाह का भाग था। जमीदारों से कर्ज लेकर ही ये कृषक वर्ग अपनी गुजर–बसर करता था। कृषकों का अधिकांश भाग दास या जमीदारों का टेनेण्ट मात्र रह गया था। खेती की राष्ट्रीय रपट के हिसाब से अन्य प्रान्तो की तुलना में निर्धनता, भुखमरी ज्यादा बढ रही थी। विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त प्रान्त के कृषकों की आय 4 आने मात्र थी। फैजाबाद तथा रायबरेली में बडी–बडी सभाओं के माध्यम से रायबरेली व फैजाबाद के कृषकों को अपनी शक्ति का अहसास हो रहा था, कृषकों को एक जगह एकत्र करने के लिये उनसे उन्होने सही और गलत दोनो प्रकार के वायदे किये। कृषकों के संगठित होकर कार्य करने से दबे कुचले गरीब कृषकों में भी आत्मविश्वास भरने लगा तथा उन पर जमीदारों एवं पुलिस का आतंक कम होने लगा। कृषकों को उनकी जमीन से अलग करने पर कोई दूसरा कृषक मदद नही कर रहा था। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नही है कि तूफान शान्त हो गया। बल्कि यह तो तूफान के पहले की शान्ति का अन्देशा था जो आगे चलकर अलग–अलग प्रकार से कृषकों के आन्दोलन में नजर आया।

अकाली मोर्चा :

1920–21 में देश में कृषक आन्दोलन हुए, इनका असर उत्तर प्रदेश पर भी पडा। ज्यादा तो नही परन्तु कंही–कंही इसका असर देखने को मिलता है। धार्मिक आन्दोलन व राजनीति साम्राज्य विरोधी जमीदार विरोधी ये सब जनआन्दोलन बन गया।

वर्ष 1920–21 में भारत में जगह–जगह अकाल की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी जिसका असर उत्तर प्रदेश के कृषकों की स्थिति पर भी पड रहा था। कृषकों की हालत खराब होती जा रही थी, इसी कारण उत्तर प्रदेश के जमीदार वर्ग कृषकों को बेगार के लिये बाध्य कर रहे थे।

बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में आन्दोलन :

जमीदारों के कर्ज के कारण कृषकों की हालत प्रतिदिन बिगडती जा रही थी। उन्हे उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा था। लेकिन सुल्तानपुर, प्रतापगढ, फैजाबाद में कृषकों ने बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में जगह–जगह आन्दोलन शुरू कर दिये। जगह–जगह सभाओं का आयोजन कर कृषकों को संगठित किया, इससे दबे कुचले कृषकों में भी नया विश्वास उत्तेजित हुआ। 1921 में रायबरेली जिले के दक्षिणी

भाग के कृषकों ने अपने जमीदारों के विरुद्ध सामूहिक विद्रोह कर दिया। 13–14 जनवरी को फैजाबाद जिले की तहसील में कृषकों ने भयानक विद्रोह कर दिया। फैजाबाद के अधिकांश गांव जमीदारों के थे। 19 जनवरी को साहूकारो ने कृषको के नेताओं को बहुत पीटा तथा उनकी स्त्रियों के साथ भी बहुत अभद्र व्यवहार किया। आक्रोशित कृषकों ने बदला लेने की सोची, गोसाईगंज में दंगा हो गया, बसखारी गांव में सभा में तैनात दो सिपाहियों को जनता ने पीट दिया। इसके निवारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव को डिस्पैच भेजा जिसमें इन सारी समस्याओं का जिक्र किया गया तथा कहा गया कि अवध रेट एक्ट में अतिशीघ्र सुधार किया जाये।

06 मार्च 1922 के अंक में लिखा कि हाल की राजनीतिक जागृति से कृषकों ने अपने अधिकारों के लिये संघर्ष सीखा है। उत्तर प्रदेश के कृषक आन्दोलन ने साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनों से मिलकर पूरे देश में चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी।

चोरी–चौरा आन्दोलन के बाद प्रदेश में कृषक आन्दोलन :

चोरी–चौरा आन्दोलन का असर उत्तर प्रदेश पर भी पडा तथा जगह–जगह कृषकों नें साहूकारों व पुलिस वालो के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अवध के कृषकों ने अपना एक संगठन एकासंघ के नाम से ही बना दिया जिसके नेता दो पासी मदारी और शाहरेख थे। 1922–23 ई0 में वर्ष 1921 से ज्यादा घटनाऐं हुई।

हरदोई जिले में कृषकों के एक झुण्ड ने मिलकर जमीदारों पर मधुमक्खी की तरह हमला कर दिया जब पुलिस उनके बचाव के लिये आयी तो पुलिस के साथ भी हाथापाई हो गयी।

1930 से 1946 के बीच पढा–लिखा वर्ग व कृषकों में राजनैतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना आने लगी थी,सभी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दिया। 1942 के भारत छोडो आन्दोलन में भी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन उपरोक्त तथ्यों के कारण उत्तर प्रदेश के गांवो में कृषको की मुख्य समस्याओं को लेकर नई–नई नीतियाँ बनने लगी तथा सरकार पर दबाव प्रबल होता जा रहा था।

दस गुना लगान माफी आन्दोलन :

इस आन्दोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों पर पडा। भूमि सुधार, दस गुना लगान अदा करने के आधार पर कृषकों को भूस्वामित्व प्रदान करना एवं भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान करना तथा बेगारी प्रथा की समाप्ति आदि इस आन्दोलन की मुख्य मांगे थी।

कवि बदरी नारायण ने कृषि की दशा सुधारने का संकेत देते हुए कहते है कि :

"कृषि हानि प्रद उत्पादयाको धरम जाहि कहीं कहीं।
तुम लखहू ताके समन हित करियै जतन अति बेगही"।।

15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। भारत की जनसंख्या को खासतौर पर कृषकों को यह महसूस हो रहा था कि अब स्वतन्त्रता के बाद हम लोगों (कृषकों) की दशा में सुधार होगा, हाँ समय के साथ–साथ सुधार तो हुआ लेकिन इतना नहीं जितना कृषक वर्गो को चाहिये था। सर्वप्रथम रजनीपाम दत्त ने अपनी रचना इंडिया टुडे में कृषकों की दशा का विश्लेषण किया तथा इसके उपरान्त।. आर.देसाई ने "सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म" में कृषको के आंदोलनों के विषय में जानकारी प्रदान की है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कृषकों के आंदोलनों का अध्ययन राष्ट्रीय एंव क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर हुआ है, परन्तु अपनी सीमाओं के कारण क्षेत्रीय अध्ययन विशेष जिलों एवं गाँव तक के अध्ययन तक सीमित रहे। सुखबीर चौधरी की पुस्तक "पीजेंट्स एण्ड वकर्स मूवमेंट इन इंडिया 1905–1929" (1971), तथा आर. देसाई द्वारा संपादित "पीजेंट्स स्ट्रगल इन इंडिया" आदि पुस्तकें प्रमुख है। इन पुस्तकों में कृषको की दशा का वर्णन मिलता है।

उ0प्र0 के विषय में ज्यादातर विद्वानों ने यह अवधारणा बना ली थी कि उत्तर प्रदेश में कृषकों व आम जनता आन्दोलन बहुत कम हुए। लेकिन समय के साथ–साथ जैसे–जैसे उत्तर प्रदेश के आन्दोलन के तथ्य सामने आने लगे तो इन लोगों की इस अवधारणा का अन्त होने लगा।

उ0प्र0 के गाजीपुर में 1949 (यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के समय का पहला कृषक आन्दोलन था) यह आन्दोलन 10 गुना लगान को माफ कराने के लिये चलाया गया था। गाजीपुर आन्दोलन स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सभी स्तरों पर किया गया तथा 1930 से 1946 में कृषकों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत हुई तथा साम्राज्य विरोध करने वाले आंदोलनों में कृषकों ने खुलकर भाग लिया। जिसके परिणाम के रूप में कृषकों के बीच राजनैतिक नेतृत्व उत्पन्न हो चुका था। 1942 के भारत छोडो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों व कृषक वर्ग का बहुत योगदान रहा। इन तथ्यों के परिणाम में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण कृषको को लेकर मुख्य नयी नीतियों को बनाने हेतु नये स्वाधीन राज्य पर दबाव बनाया गया।

उत्तर प्रदेश की कम्यूनिस्ट विचार धारा और कांग्रेस समाजवादी विचारधारा और R.S.P. को मानने वाले लोग कृषकों को संगठित कर रहे थे तथा सरकार पर दबाब बनाकर कृषको के हितो को साध्य बनाकर जगह–जगह छुट–पुट आन्दोलन भी कर रहे थे।

1952 के किसानों के आन्दोलन का उत्तर प्रदेश पर प्रभावः

1952 के किसानों के आन्दोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कृषकों पर भी पडा तथा यह आन्दोलन काफी हद तक सफल भी रहा। 1942 के भारत छोडो आन्दोलन से उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में कृषक आन्दोलन को समर्थन मिला तथा इसी कारण कृषकों ने अपने अधिकारों के लिये आन्दोलनकारी रूख अपनाने के विषय में सोचा। 1952 में देश के कृषकों में जमीदारो के प्रति आक्रोश तथा साथ ही अकाल पडने के कारण होने वाले नुकसान से यह आक्रोश और भी प्रबल हो चुका था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र किया कि अब तीस एकड से ज्यादा जमीन कोई अपने पास नही रख सकता साथ ही जमीदारों की बदसलूकी को भी बर्दाशत नही किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने जिनके पास अपनी भूमि नही थी। वे कृषक दस गुना लगान देकर अपना हक सुरक्षित कर लें।

घेरा डालो आन्दोलन–1958 :

स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद वर्ष 1958 मे उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलो में खान–पान का संकट बढता ही जा रहा था। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ, आदि जिले बहुत प्रभावित हो रहे

थे। खाने–पीने की वस्तुएं कम होने के कारण खाद्यान्नों के दाम दिन–प्रतिदिन आसमान छू रहे थे। कृषको व मजदूरों को भूखमरी का सामना करना पड रहा था, जिस कारण प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक कृषकों ने आन्दोलन किया। इसमें गाजीपुर के कृषकों की अहम भूमिका रही। इसी समय उत्तर प्रदेश में अकाल तथा गैर सरकारी जांच के लिये समाजवादी नेताओं ने दौरे की शुरूआत गाजीपुर से ही की। कृषकों ने अपनी 06 सूत्रीय मांगे इनके समक्ष रखी जो निम्नवत् हैः–

1. मजदूरी का मूल्य व टेस्टवर्क की संख्या बढायी जाए।
2. सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या बढायी जाए।
3. प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित कर सुविधाऐं बढायी जाए।
4. सरकारी सहायता का वितरण जनकमेटियों द्वारा किया जाए।
5. सरकारी गल्ले की दुकाने खोली जाये एवं मोटा अनाज बेचा जाए।
6. छोटी–छोटी कमेटियां बनाकर सरकारी सहायता दी जाए।

वर्ष 1966 में कृषक आन्दोलन :

1966 के समय को बंद राजनीति का समय कहा जाता है। नगरो व शहरों में आवश्यक्ता की वस्तुओं के अभाव से जनता में असंतोष की भावना पनप रही थी। 25% भूमिकर बढने पर जनता में अत्यधिक आक्रोश पैदा हो गया एवं जगह–जगह आन्दोलन शुरु हो गये। 1966 का बंद आन्दोलन अंततः 1967 में उभरा तथा राष्ट्रव्यापी कांग्रेसवाद का जनक सिद्ध हुआ। इस आन्दोलन में भी गाजीपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 25 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध दिवस मनाने तथा 21 जून को उत्तर प्रदेश बंद करने का निर्णय लिया गया। 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश बंद के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश बंद का उद्देश्य महंगाई पर रोक लगाना, पुलिस के जुल्मों से कृषकों को मुक्त करना आदि था।

1970 में भूमि आन्दोलन :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1970 के भूमि आन्दोलन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह आन्दोलन मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी,संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी आदि ने मिलकर किया। इस आन्दोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

1. सरकार का ध्यान भूमि सुधार की आवश्यकता की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना।
2. खेतीहर मजदूरों, हरिजनों और बेकार पडी भूमि पर आदिवासियों को कब्जा दिलाने का लक्ष्य रखा जाये।
3. आजमगढ, बलिया, जौनपुर और वाराणसी के भूमि आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 1966 से 1969 के बीच सरकार की तरफ से खाद्यान्न उत्पादन के लिये कई योजनाऐं अपनायी गयी। ये 1970 का भूमि आन्दोलन वर्ष 1945 के लगान माफी आन्दोलन के संघर्ष की तीव्र प्रेरणा से संचालित था। प्रदेश में आन्दोलन के दौरान 600 एकड भूमि पर कब्जा किया गया तथा जिन मजदूरों व कृषकों के पास भूमि नही थी उनमें इसका वितरण कर दिया गया। प्रदेश के कृषकों के लिये और भी कई योजनाऐं चलाई गयी। भूमि हदबन्दी कानूनों में सख्ती बरती जाने लगी तथा जो बंजर भूमि गांव तथा जमीदारों के कब्जे में थी उसका भी बंटवारा शुरु हो गया। इस कारण देश के गरीब मजदूरों तथा कृषकों की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई।

चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आन्दोलन :

वर्ष 1987 से ही किसान यूनियन आन्दोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले अधिक चेतना थी। इस आन्दोलन से ही चौधरी महेन्द्र सिंह को टिकैत के नाम से पहचान मिली। 29–30 जनवरी 1987 में चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत जी ने शामली जिले के बिजलीघर को घेर लिया, उनके इस घेराव करने मात्र से ही पूरा प्रशासन हिल गया तथा मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह स्वयं श्री महेन्द्र सिंह टिकैत के गाँव सिसौली जा पहुंचे। जिन्होने पी0ए0सी0 की गोलियों से मारे गये कृषको को मुआवजे के रूप में कुछ रूपये भी दिये। 23 अक्टूबर को लोकदल और जनमोर्चा ने मिलकर अपनी रैली मुजफ्फरनगर में आयोजित की, इसका कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार द्वारा बिजली की दरे बढाये जाने के विरोध में श्री महेन्द्र सिंह टिकैत का विपल्वकारी आह्वान था। 27 जनवरी 1988 को मेरठ में कमिश्नर कार्यालय को घेर लिया गया। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत हौंसले और हिम्मत से बने मजबूत व्यक्ति थे तभी पत्रकार भी उन्हे चमत्कारी पुरूष के रूप में प्रचारित करते रहे। 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के वोट क्लब पर अपने कई हजार समर्थकों के साथ पंहुच गये तथा यह धरना केन्द्रीय मंत्री राजेश की मध्यत्ता से खत्म हुआ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह किसान नेता अब अपने प्रदेश की सीमाओं से आगे बढने लगा तथा कृषको ने भी धीरे–धीरे अपने हको को पहचानना शुरू कर दिया जिस कारण कृषक वर्ग अपने आर्थिक हितो की लडाई में हमेशा विजयी होगा।

हिन्दुस्तान ने स्वतन्त्रता से पहले तथा स्वतन्त्रता के बाद भी कृषको के आन्दोलन हुए, लेकिन उन सबकी दिशा व दशा भिन्न–भिन्न ही रही। समाज व राजनीति के लिये ये आन्दोलन शोषण और उत्पीडन के मुक्तिदाता रहे है। वर्ष 1988 में चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में होने वाला यह कृषक आन्दोलन आर्थिक मुक्ति की उम्मीदों व सम्भावनाओं को उजागर करता है। शोधकर्ताओं की दृष्टि में पिछला पूरा दशक विभिन्न प्रदेशों में कृषक आन्नदोलनों से प्रभावित व प्रेरित रहा है। यह कृषको का आन्दोलन चेतना के साथ–साथ एक प्रभावी राजनीतिक समूह के रूप में स्थापित रहा।

सन्दर्भ सूची :

1. गुप्त मैथिलिशरण, किसान झांकी, 1917 पृष्ठ–23
2. दैनिक "आज" वाराणसी, 29 अगस्त 1958
3. दैनिक "आज" वाराणसी, 26 मई 1966
4. नेहरू जवाहर लाल एन ऑटोबायोग्राफी 232
5. इण्डिपेंडेंट (दैनिक) इलाहाबाद 12 मार्च 1921
6. चौधरी सुखबीर–पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेन्ट इन इण्डिया–पृष्ठ–79
7. चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत–विकिपीडिया।